न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 104/2018

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादी :-
1. श्यामलाल गोद पुत्र मूलाराम जाति-कुमावत, निवासी-निमाज, तहसील-जैतारण, जिला पाली		1. तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. **तारीख रजू:.15/05/2018**

उपस्थितः-

1. श्री किशोर कुमावत , अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 22/05/2018**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा निमाज प्रथम पटवार हल्का निमाज प्रथम तहसील जैतारण में वादी की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि निम्न खसरा नम्बरान की आई हुई है। खसरा नम्बर 178 रकबा 01-16 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 179/1 रकबा 08-04 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 187/1 रकबा 07-09 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 204 रकबा 11-14 बीघा किस्म चाही चारम उपरोक्त आराजी कि जमाबंदी की नकल दावा के साथ पेश की जा रही है। जिसे दावा के भाग का माना जावे। वादी के परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है- गणेश के पुत्र भोला , मूला, राजी, मांगू भोला के पुत्र गेपर एवं हजारी, श्यामलाल गोद पुत्र मूला, किन्या पुत्री मूला एवं मथुराई पत्नि मूला, मांगू के पुत्र पारसमल, श्यामलाल, धर्माराम एवं सुरेश है। उपरोक्त वंशावली अनुसार मूला के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने से मूला ने अपने जीवनकाल में ही मूला व उसकी पत्नी मथुराई ने वादी श्यामलाल को गोद ले लिया था। एवं मूलाराम की पत्नी मथुराई ने वादी श्यामलाल को गोद होने से गोदनामा पंजीबद्ध दिनांक 28/3/2003 को करवाया जिसकी नकल दावा के साथ पेश है। विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में मूलाराम फौत होने के उपरान्त भी आज दिन तक वादी व वादी की बहन किन्या व माता मथुराई का नाम दर्ज नहीं किया गया। जबकि मूलाराम पुत्र गणेश के नाम कि अन्य आराजी भूमि खसरा नम्बर 172, 172/2, 173, 207, 208, 213, 214 के राजस्व रेकर्ड में मूला पुत्र गणेश के स्थान पर श्यामलाल गोद पुत्र मूलाराम, किन्या पुत्र मूलाराम, मथुराई पत्नी मूलाराम के नाम दर्ज किया गया जिसकी जमाबंदी की नकल वाद के साथ पेश है। लेकिन विवादित यानि वादपत्र के पद संख्या एक में वर्णित आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी व इनकी बहन किन्या व वादी की माता मथुराई का नाम आज दिन दर्ज नहीं किया गया जो अब दर्ज किया जाना जरूरी है। वादी ने कई बार पटवारी हल्का निमाज प्रथम व तहसीलदार जैतारण को मौखिक व लिखत में कहा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए वादी के पास उक्त वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तत्त्कालीन पटवारी हल्का निमाज प्रथम द्वारा सेवन से वादी के पिता मूलाराम पुत्र गणेशराम के नाम की खातेदारी जमीन के राजस्व रेकर्ड यानि एक खाता की जमीन में तो विरासत का नामान्तरण भरा दिया लेकिन वाद पत्र में वर्णित आराजी के राजस्व रेकर्ड में मूलाराम पुत्र गणेशराम के वारिसान का नाम दर्ज नहीं किया जो अब दर्ज किया जाना जरूरी है। विरासत म्यूटेशन कि नकल वाद पत्र के साथ पेश है। वादी द्वारा किसान क्रेडिड कार्ड बनाने के लिए राजस्व रेकर्ड जमाबंदी कि नकले लेने पर सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि वादी का एक खाता यानि वाद में वर्णित आराजी में वादी व वादी की बहन किन्या व माता मथुराई का नाम दर्ज नहीं है तब वादी ने प्रतिवादी को दिनांक 3/5/2018 को मूलाराम पुत्र गणेश के स्थान पर मूलाराम के वारिसान का नाम दर्ज करने का निवेदन किया तब प्रतिवादी ने कहा कि आप न्यायलय में दावा करो। इसलिए उक्त वाद पेश किया जा रहा है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने वादी अपने जमीन को उपजाऊ नहीं बना सकता है न ही उक्त आराजी पर बैंक से ऋण आदि ले सकता है इसलिए वादपत्र में वर्णित आराजी के राजस्व रेकर्ड में मूलाराम पुत्र गणेश के स्थान पर उनके वारिसान का नाम दर्ज किया जाना जरूरी

Scanned by CamScanner

है। बिनाय दावा दिनांक 3/5/2018 को जब प्रतिवादी ने मूलाराम पुत्र गणेश के वारिसान का नाम दर्ज करने से मना करने पर बमुकाम निमाज व जैतारण में उत्पन्न हुआ जो न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प निमाज पेश हुई। मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। मजमा–ए–आम में पटवारी हल्का, भू.अ.निरीक्षक एवं तहसीलदार जैतारण ने फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की। फर्द मौका रिपोर्ट में जाहिर किया कि खसरा नम्बर 200, 202, 206, 172, 172/2, 173, 207, 208, 213, 214, 178, 179/1, 187/1, 204 में मूला पुत्र गणेश फौत के स्थान पर श्यामलाल गोदपुत्र मूलाराम किन्या पुत्री मूलाराम मुथराई पत्नि मूलाराम के नाम ना.स. 3583 दर्ज किया गया है। वर्तमान जमाबंदी के खसरा नम्बर 172, 172/2, 173, 207, 208, 213 व 214 में श्यामलाल गोदपुत्र मूलाराम, किन्या पुत्री मूलाराम मुथराई पत्नि मूलाराम कुमावत (कुम्हार) है।

खसरा नम्बर 178, 179/1, 187/1 एवं 204 का पूर्व ना.स. 3583 दर्ज है जिसने मूला पुत्र गणेश के स्थान पर श्यामलाल गोदपुत्र ,मूलाराम किन्या पुत्री मूलाराम, मुथराई पत्नि मूलाराम का नाम दर्ज है। परन्तु जमाबंदी बनाते समय कालान्तर में मूला पुत्र गणेश ही दर्ज कर दिया है जो आदिनांक गलत दर्ज है। अर्थात् ना.स. 3583 का अमलदरामद नही हुआ जिसे अमल दरामद कर दुरस्त किया जाना उचित है। बहान वकील वादी की सुनी गई।

पत्रावली पत्र दस्तावेजात तथा जमाबंदी एवं ना.स. 3583 तथा फर्द मौका रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन कर अध्ययन किया गया। वस्तुतः ना.स. 3583 पारित किया गया जो सही है, परन्तु ना. में दर्ज अन्य खसरा नम्बर में तो श्यामलाल गोदपुत्र मूलाराम, किन्या पुत्री मूलाराम, मुथराई पत्नि मूलाराम दर्ज कर दिया गया। लेकिन खसरा नम्बर 178, 179/1, 187/1, 204 में जमाबंदी बनाते समय गलत मूला पुत्र गणेश दर्ज कर दिया गया जो एक रोंग एन्ट्री है। लिहाजा खसरा नम्बर 178, 179/1, 187/1 व 204 में पारित ना.स. 3583 की पालना में श्यामलाल गोदपुत्र मूलाराम, किन्या पुत्री मूलाराम, मथुराई पत्नि मूलाराम का नाम जमाबंदी में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा निमाज प्रथम पटवार हल्का निमाज प्रथम तहसील जैतारण में वादी की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 178 रकबा 01–16 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 179/1 रकबा 08–04 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 187/1 रकबा 07–09 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 204 रकबा 11–14 बीघा किस्म चाही चारम की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में ना.सं. 3583 की पालना में मूला पुत्र गणेश के वारिसान श्यामलाल गोद पुत्र मूलाराम, किन्या पुत्री मूलाराम, मुथराई पत्नि मूलाराम का नाम दर्ज किय जाने का आदेश दिया जाता हैं तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (जैतारण)
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 22/05/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–निमाज में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, (जैतारण)
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner